[2018] 4 एस. सी. आर. 1033

सत्येंद्र कुमार मेहरा @सत्येंद्र कुमार

मेहरा

वी.

झारखंड राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 406)

23 मार्च, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.357 (2)-अपीलार्थी

दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। 420,467,468,471 आर / w.120-B आई. पी. सी.-ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई

जुर्माने के साथ-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की और सजा के निलंबन के लिए भी आवेदन दायर किया-उच्च न्यायालय ने सजा के निलंबन के लिए आवेदन को अनुमति दी, हालांकि, निर्देश दिया

न्यायालय के समक्ष दी गई जुर्माने की राशि को जमा करने के लिए अपीलार्थी, चाहे एस के आधार पर हो। 357 (2) Cr.P.C., उक्त जुर्माना जो सजा का हिस्सा था, उस पर स्वतः ही फैसले तक रोक लगा दी गई थी।

अपील और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा जमा करने का निर्देश नहीं दिया गया होगा-आयोजितः उच्च न्यायालय के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं-तत्काल मामले में, s.357 (2) Cr.P.C. आकर्षित नहीं किया गया क्योंकि सजा के हिस्से के रूप में निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने में से किसी भी मुआवजे के भुगतान का कोई निर्देश नहीं था - s.357 Cr.P.C. (2) केवल तभी लागू होता है जब मुआवजे के भुगतान का कोई आदेश सजा के रूप में लगाए गए जुर्माने का उपयोग करता है। s.357 (1) Cr.P.C. या यू/एस द्वारा निर्देशित मुआवजे के रूप में। 357 (3) Cr.P.C. बनाया गया है-वर्तमान न तो s का मामला है। 357 (1) Cr.P.C. न ही s. 357 (3) , एस की उप-धारा (2)। 357 Cr.P.C. स्पष्ट रूप से लागू नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.357 (2)-उद्देश्य और उद्देश्य-आयोजितः s.357 (1) Cr.P.C. जुर्माने के उपयोग पर विचार किया गया

भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के रूप में कुछ परिस्थितियों में अधिरोपित

पीड़ित-उप। (2) एस. 357 एक प्रतिबंध लगा दिया कि ऐसा भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील के लिए दी गई अवधि समाप्त नहीं हो जाती है या

यदि अपील दायर की जाती है, जब तक कि इसका निर्णय नहीं हो जाता है-विधानमंडल इस बात से अवगत था कि यदि भुगतान किए गए मुआवजे का उपयोग किया जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है

पीड़ित से उपयोग की गई उक्त राशि की वसूली के लिए उचित उपाय, जिसे मुआवजे का भुगतान किया जाता है, इसलिए भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उप-खंडों में उत्कीर्ण किया गया। (2) - इस प्रकार सबसे अच्छा उप-एस। (2) एस. 357 Cr.P.C।

एक ऐसा प्रावधान है जो अपील की सीमा समाप्त होने तक या जब तक यह तय नहीं हो जाता है तब तक दिए गए मुआवजे की राशि के उपयोग को स्थगित या रोकता है-यह प्रावधान किसी भी तरह से अपील के लंबित रहने के दौरान जुर्माने की सजा पर रोक नहीं लगाता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. जुर्माने का उपयोग धारा में उल्लिखित विभिन्न परिस्थितियों की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। 357 (1) Cr.P.C. धारा 357 (1) Cr.P.C. धारा 357 Cr.P.C की उप-धारा (2) को जो कहा गया था, उसके संदर्भ में उत्कीर्ण किया गया है।

धारा 357 Cr.P.C की उप-धारा (1) में. धारा 357 Cr.P.C की उप-धारा (2) में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण शब्द हैं "अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त होने से पहले या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है, तो अपील के निर्णय से पहले ऐसा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा"। इस प्रकार, धारा 357 (2) Cr.P.C के तहत जो वर्जित है वह यह है कि जुर्माने का उपयोग करते हुए मुआवजे का भुगतान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि

धारा 357 (2) Cr.P.C में निहित प्रतिबंध से जुर्माना किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है। धारा 357 (2) Cr.P.C का संचालन धारा 357 (1) द्वारा अनुध्यात मुआवजे के भुगतान तक सीमित है और (3) Cr.P.C. धारा 357 का शीर्षक Cr.P.C. अर्थात " मुआवजे का भुगतान करने का आदेश "के साथ-साथ धारा की सामग्री केवल

एक निष्कर्ष यह है कि पूरा प्रावधान उत्कीर्ण किया गया है

अधिरोपित जुर्माने में से मुआवजे के भुगतान के संबंध में या जब न्यायालय जुर्माना लगाने की सजा देता है जिसका जुर्माना हिस्सा नहीं है, तो न्यायालय मुआवजे के रूप में ऐसी राशि का भुगतान किसी ऐसे व्यक्ति को कर सकता है जिसे चोट लगी हो। इस प्रकार, धारा 357 Cr.P.C।

इसका निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के निलंबन से कोई लेना-देना नहीं है और आरोपी पर लगाए गए जुर्माने की सजा किसी भी तरह से धारा 357 (2) से प्रभावित नहीं है। लगाए गए जुर्माने से किसी को भी। निचली अदालत के आदेश में मुआवजे के भुगतान के लिए कोई निर्देश नहीं है और न ही वर्तमान मामला सत्येंद्र कुमार मेहरा @सत्येंद्र कुमार मेहरा बनाम है।

झारखंड राज्य

मुआवजे का भुगतान। धारा 357 किसी अन्य मामले में आकर्षित नहीं है। मामला। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब धारा की व्याख्या में कोई संदेह होता है तो धारा का शीर्षक एक भूमिका निभाता है। [पैरा 15] [1041-एफ-एच; 1042-ए-सी]

3. धारा 357 (1) Cr.P.C. ने कुछ परिस्थितियों में लगाए गए जुर्माने का उपयोग मुआवजे के रूप में करने पर विचार किया।

धारा 357 Cr.P.C की धारा (2) एक ऐसा प्रावधान है जो दिए गए मुआवजे की राशि के उपयोग को तब तक टालता है या रोकता है जब तक कि अपील की सीमा समाप्त नहीं हो जाती या यदि दायर किया जाता है जब तक कि यह तय नहीं हो जाता। प्रावधान किसी भी तरह से जुर्माने की सजा पर रोक नहीं लगाता है। अपील की विचाराधीनता। वह प्रयोजन जिसके लिए उप-धारा (2)

धारा 357 को अधिनियमित किया गया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और यह कभी भी अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की सजा पर रोक लगाने पर विचार नहीं करता है। [पैरा 33] [1052-एच; 1053-ए-सी]

4. धारा 357 (2) Cr.P.C. वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं की गई थी क्योंकि किसी भी मुआवजे के भुगतान का कोई निर्देश नहीं था। सजा के हिस्से के रूप में निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने से बाहर। धारा 357 Cr.P.C. (2) केवल तभी लागू होती है जब सजा के रूप में लगाए गए जुर्माने का उपयोग करते हुए मुआवजे के भुगतान का कोई आदेश लागू होता है।

धारा 357 (1) Cr.P.C के तहत या धारा 357 (3) Cr.P.C के तहत निर्देश के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। वर्तमान में न तो धारा 357 (1) Cr.P.C का मामला है और न ही धारा 357 (3), धारा 357 Cr.P.C की उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से लागू नहीं है। [पैरा 37] [1054-ए-बी]

केदार नाथ बनाम। हरियाणा राज्य 2006 (3) पीएलआर 194 -

प्रतिष्ठित।

[2018] 4 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिहार राज्य, 2012 (2) पी. एल. जे. आर. 855; दिलीप एस. दहनुकर वी. कोटक महिंद्रा कंपनी लिमिटेड और अन्य (2007) 6 एस. सी. सी.

528 [2007] 4 एससीआर 1122; K.C.Sareen वी। सी बी आई

चंडीगढ़ (2001) 6 एससीसी 584: [2001] 1 पूरक।

एससीआर 224-लागू नहीं होता है।

स्टैनी फेलिक्स पिंटो बनाम। जांगिड़ बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड और

दूसरा, (2001) 2 एस. सी. सी. 416: [2001] 1 एस. सी. आर. 390; भिंका और अन्य वी। चरण सिंह, आकाशवाणी 1959 एससी 960: [1959]

पूरक। एस. सी. आर. 798; एन. सी. धौंडियाल बनाम भारत संघ

और अन्य, (2004) 2 एस. सी. सी. 579 [2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 674; सिंचाई इंजीनियरिंग कंपनी (भारत)

प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर। वी. लघु औद्योगिक स्तर

भारतीय विकास बैंक (सिडबी) 2003 (6) कार्लजे

387 ; हरि सिंह बनाम। सुखबीर सिंह और अन्य (1988) 4

एससीसी 551: [1988] 2 पूरक। एस. सी. आर. 571-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 1 एससीआर 390

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1959] पूरक। एससीआर 798

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2003] 6 पूरक। एससीआर 674

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2007] 4 एससीआर 1122

पैरा 17

अप्रयोज्य

2003 (6) कारलजे 387

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

प्रतिष्ठित

2006 (3) पीएलआर 194

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

2012 (2) पीएलजेआर 855

पैरा 29

[1988] 2 पूरक। एससीआर 571

पैरा 32

संदर्भित किया गया है

[2001] 1 पूरक। एससीआर 224

अप्रयोज्य

पैरा 35

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः

आपरा

धिक ऐप

2018 का सं. 406।

उच्च निगम के 23.02.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में 2018 की आई. ए. सं. 892 में रांची में झारखंड राज्य सरकार द्वारा। अपील (एसजे)

176 2018 से।

सुनील कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , हिमांशु शेखर, अधिवक्ता। एपेला के लिए अमन लेखी, एएसजी, राजीव नंदा, टी. ए. खान, बीवी बलराम

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

सत्येंद्र कुमार मेहरा @सत्येंद्र कुमार मेहरा बनाम। झारखंड राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अशोक भूषण, जे. 1. इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है।

2018 की आपराधिक अपील NO.176 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय का एक आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने I.A.No की अनुमति दी। अपीलार्थी द्वारा दायर 2018 की धारा 892 ने अपीलार्थी की सजा को निलंबित करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि अपीलार्थी को निचली अदालत के समक्ष दिए गए जुर्माने की राशि भी जमा करनी चाहिए। अपीलार्थी केवल आदेश के उस भाग के विरुद्ध व्यथित है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया था।

2. अपीलार्थी 1996 के आर. सी. केस No.68 (ए) राज्य (सी. बी. आई. के माध्यम से) बनाम में अभियुक्त था। लालू प्रसाद @लालू प्रसाद यादव और अन्य।

अभियुक्तों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (सी) और (डी) और 13 (2) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120-बी/409,420,467,468,471 और 477-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। निचली अदालत ने दिनांक 24.01.2018 के आदेश से आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। वाक्य। अपीलार्थी, जो अभियुक्तों में से एक था, को निचली अदालत ने निम्नलिखित सजा सुनाई थीः

" 44. सत्येंद्र कुमार मेहरा को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया

दंडनीय यू/एस 120-बी/420,120-बी/467,120-बी/468 और

बी/471 आई. पी. सी.:

यू/एस 120-बी/420 आई. पी. सी. आर. आई. पाँच (05) साल के जुर्माने के साथ। 25,000 / - और तीन (03) महीनों के लिए जुर्माने एस. आई. के भुगतान में चूक। यू/एस 120-बी/467 आई. पी. सी. आर. आई. पाँच (05) वर्ष के जुर्माने के साथ। 25,000 / - और तीन के लिए एस. आई. जुर्माने का भुगतान न करने पर

(03) महीनों तक। यू/एस 120-बी/468 आई. पी. सी. आर. आई. पाँच (05) वर्ष के जुर्माने के साथ। 25,000 / - और तीन के लिए एस. आई. जुर्माने का भुगतान न करने पर

यू/एस 120-बी/471 आई. पी. सी. आर. आई. पाँच (05) वर्ष के जुर्माने के साथ। 25,000 / - और तीन (03) महीनों के लिए जुर्माने एस. आई. के भुगतान में चूक। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और अवधि

से गुजरने वाले को हटा दिया जाएगा "।

3. उपरोक्त दोषसिद्धि और सजा आदेश के खिलाफ पीड़ित अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की आपराधिक अपील दायर की।

अपीलार्थी ने सजा के निलंबन की प्रार्थना करते हुए आवेदन भी दायर किया।

8] 4 एस. सी. आर. के बाद

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को सजा के निलंबन का विशेषाधिकार देने वाले आवेदन को अनुमति दी और अपीलार्थी को निर्देश दिया कि दो प्रतिभूतियों के साथ Rs.50,000/- के जमानत बांड पर जमानत पर रिहा किया गया। हालाँकि, आवेदन को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने पारित किया

निम्नलिखित दिशाः

" अपीलार्थी को निचली अदालत के समक्ष जुर्माने की राशि भी जमा करनी चाहिए।

4. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जुर्माने की राशि जमा करने के उपरोक्त निर्देश से व्यथित अपीलार्थी इस अपील में आया है।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री सुनील कुमार और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित भारत के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अमन लेखी को सुना है। 6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 की उप धारा (2) पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि अपीलार्थी पहले ही उच्च न्यायालय में अपील दायर कर चुका है, इसलिए निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि स्वतः ही अपील के निर्णय तक रोक दी जाती है। वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामले में जुर्माने की सजा भी निचली अदालत द्वारा दी गई थी जो अपील का विषय है, इसलिए धारा 357 (2) Cr.P.C. वर्तमान मामले में आकर्षित है और उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को निचली अदालत द्वारा दी गई जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था जो धारा 357 (2) Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार है।

7. श्री अमन लेखी, भारत के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपीलार्थी के विद्वान वकील के प्रस्तुत करने का खंडन करते हुए तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा दी गई जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश देने में त्रुटि नहीं की। वह प्रस्तुत करता है कि धारा 357 (2) Cr.P.C के प्रावधान वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं हैं। वह प्रस्तुत करता है कि धारा 357 Cr.P.C की उप-धारा (2) द्वारा जो विचार किया गया है वह "धारा 357 (1) Cr.P.C में परिकल्पित मुआवजे का भुगतान" है। वह प्रस्तुत करता है कि मुआवजे के भुगतान पर रोक पूरी तरह से जुर्माने पर रोक से अलग है जो उस पर लगाए गए दंड का एक हिस्सा है।

अभियुक्त।

8. वह प्रस्तुत करता है कि यह न्यायालय स्टैनी फेलिक्स पिंटो बनाम जांगिड़ में है।

बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड और एक अन्य, (2001) 2 एस. सी. सी. 416 ने भी एक सत्येंद्र कुमार मेहर @सत्येंद्र कुमार को बरकरार रखा है।

मेहरा वी. झारखंड राज्य [अशोक भूषण, जे.]

उच्च न्यायालय द्वारा पारित इसी तरह का आदेश जहां उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित करने की शर्त के रूप में चार लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जो सजा के हिस्से के रूप में लगाए गए जुर्माने का हिस्सा था।

धारा 357 (2) Cr.P.C की व्याख्या के संबंध में. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा किस धारा का न तो उल्लेख किया गया है और न ही उसका समर्थन किया गया है। 10. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है। सामने लाए गए तथ्यों से

अभिलेख, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दी गई सजा पाँच साल की आर. आई. की सजा थी जिसमें <आई. डी. 1,000/- के जुर्माने का भुगतान किया गया था और डिफ़ॉल्ट रूप से तीन महीने की एस. आई. थी। उक्त सजा चार मामलों में दर्ज की गई थी और सभी सजाएं एक साथ चलनी थीं। इस प्रकार, जुर्माना सजा का हिस्सा था। वर्तमान मामले में जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, वह यह है कि क्या धारा 357 (2) के आधार पर, उक्त जुर्माना जो सजा का हिस्सा था, अपील के निर्णय तक स्वतः ही रोक दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा जमा करने का निर्देश नहीं दिया गया होता।

11. सवाल का जवाब देने के लिए हमें धारा 357 (2) Cr.P.C. धारा 357 (2) Cr.P.C द्वारा चित्रित वैधानिक योजना पर विचार करने की आवश्यकता है।

यह आपराधिक के अध्याय XXVII-"न्याय" का हिस्सा है।

भाषा और निर्णय की सामग्री के साथ। धारा 355 मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को संदर्भित करती है। धारा 356 पूर्व में दोषी ठहराए गए अपराधी के पते को अधिसूचित करने के आदेश से संबंधित है और फिर धारा 357 का शीर्षक "मुआवजे का भुगतान करने का आदेश" है। भुगतान करने का आदेश क्षतिपूर्ति, इस प्रकार, निर्णय का एक हिस्सा है जहाँ न्यायालय मुआवजे के लिए भुगतान का निर्देश देता है।

12. धारा 357 (1) <आई. डी. 1. में विचार किया गया है कि जब कोई न्यायालय जुर्माने की सजा या ऐसी सजा देता है जिसका जुर्माना एक हिस्सा होता है, तो न्यायालय

निर्णय पारित करते समय, वसूल किए गए जुर्माने के पूरे या किसी भी हिस्से को लागू करने का आदेश दे सकता है। धारा 357 निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 357. क्षतिपूर्ति देने का आदेश।

(1) जब कोई न्यायालय जुर्माने या सजा (मौत की सजा सहित) की सजा देता है, जिसका जुर्माना एक हिस्सा है, [2018] 4 एस. सी. आर.

न्यायालय निर्णय पारित करते समय बरामद जुर्माने के पूरे या किसी भी हिस्से को लागू करने का आदेश दे सकता है। (ए) में उचित रूप से किए गए खर्चों का भुगतान करने में

अभियोजन;

(ख) अपराध के कारण हुए किसी भी नुकसान या चोट के लिए किसी भी व्यक्ति को मुआवजे के भुगतान में, जब मुआवजा, अदालत की राय में, ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी मामले में वसूली योग्य है।

दीवानी अदालत;

(घ) जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें चोरी, आपराधिक गबन, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, या धोखाधड़ी, या बेईमानी से प्राप्त या बनाए रखने, या स्वेच्छा से निपटान में सहायता करने, चोरी की गई संपत्ति को चोरी होने के बारे में जानने या विश्वास करने का कारण होने के लिए, ऐसी संपत्ति के किसी भी प्रामाणिक खरीदार को उसी के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने में यदि ऐसी संपत्ति को उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में बहाल कर दिया जाता है। (2) यदि जुर्माना किसी ऐसे मामले में लगाया जाता है जो अपील के अधीन है, तो स्वीकृत अवधि से पहले ऐसा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

अपील प्रस्तुत करने के लिए अपील के निर्णय से पहले अपील पारित हो गई है, या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है। (3) जब कोई न्यायालय कोई सजा अधिरोपित करता है, जिसमें से जुर्माना एक हिस्सा नहीं है, तो न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को मुआवजे के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जो उस व्यक्ति को आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है जिसे उस कार्य के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को इस तरह से सजा सुनाई गई है।

(4) पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय इस धारा के तहत एक आदेश अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है।

सत्येंद्र कुमार मेहरा @सत्येंद्र कुमार

मेहरा वी. झारखंड राज्य [अशोक भूषण, जे.]

(5) उसी मामले से संबंधित किसी भी बाद के दीवानी मुकदमे में मुआवजा देने के समय, न्यायालय मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या बरामद की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा।

इस धारा के तहत।

13. धारा 357 की उप-धारा (1) की सभी परिस्थितियाँ लगाए गए जुर्माने में से मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश का उल्लेख करती हैं। इस प्रकार सभी

धारा 357 Cr.P.C की धारा (2) को धारा 357 Cr.P.C की उप-धारा (1) में जो कहा गया था, उसके संदर्भ में उत्कीर्ण किया गया है। अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त होने से पहले या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है, तो अपील के निर्णय से पहले की जाएगी। इस प्रकार, धारा 357 (2) Cr.P.C के तहत जो वर्जित है, वह यह है कि जुर्माने का उपयोग करते हुए मुआवजे का भुगतान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसके लिए अनुमत अवधि न हो।

अपील प्रस्तुत करना बीत चुका है, या यदि अपील दायर की जाती है तो अपील के निर्णय से पहले। इसमें सजा पर रोक लगाने की कोई अवधारणा शामिल नहीं है।

15. अध्याय XXIX अपीलों से संबंधित है। उक्त अध्याय में धारा 389 इस विषय से संबंधित है कि "सजा का निलंबन लंबित है।

अपील; जमानत पर अपीलार्थी की रिहाई "। धारा 389 (1) Cr.P.C. अपीलीय न्यायालय को यह आदेश देने का अधिकार देती है कि उसके खिलाफ अपील की गई सजा या आदेश के निष्पादन को निलंबित किया जाए और यह भी कि, यदि वह कारावास में है, तो वह जमानत पर रिहा किया जाए। इस प्रकार, सजा के निलंबन की शक्ति धारा 389 Cr.P.C से निकलती है जहां अपीलीय न्यायालय को पारित करने का अधिकार है।

ऐसा आदेश। धारा 357 और 389 दो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। धारा 357 में एक प्रतिबंध है कि जुर्माने की सजा का निर्णय पारित करने पर, जुर्माने का उपयोग मुआवजे के भुगतान के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें उल्लिखित आकस्मिकता न हो। द.

जुर्माने की सजा सहित न्यायालय द्वारा दी गई सजा धारा 357 (2) Cr.P.C में निहित प्रतिबंध से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है। धारा 357 (2) Cr.P.C का संचालन मुआवजे के भुगतान तक ही सीमित है। धारा 357 (1) और (3) Cr.P.C द्वारा अनुध्यात. धारा 357 Cr.P.C का शीर्षक. अर्थात " मुआवजे का भुगतान करने के आदेश के साथ-साथ धारा की सामग्री से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि लगाए गए जुर्माने में से मुआवजे के भुगतान के संबंध में पूरा प्रावधान किया गया है या जब न्यायालय जुर्माना लगाने की सजा देता है तो यह उसका हिस्सा नहीं है, न्यायालय [2018] 4 एस. सी. आर.

क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी राशि का प्रत्यक्ष भुगतान किसी ऐसे व्यक्ति को किया जा सकता है जिसे चोट लगी हो। इस प्रकार, हमारा विचार है कि धारा 357 का निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के निलंबन से कोई लेना-देना नहीं है और आरोपी पर लगाए गए जुर्माने की सजा किसी भी तरह से धारा 357 (2) से प्रभावित नहीं है। निचली अदालत के आदेश में मुआवजे के भुगतान के लिए कोई निर्देश नहीं है और न ही वर्तमान मामला परिस्थितियों के दायरे में आता है धारा 357 (1) Cr.P.C के उपखंड (ए) से (डी) में उल्लिखित. वर्तमान भी धारा 357 (3) Cr.P.C का मामला नहीं है। इसलिए, धारा 357 (2) Cr.P.C के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। पी. सी. अनुभाग के उद्देश्य और उद्देश्य को खोजने में काफी प्रकाश डालता है। धारा 357 Cr.P.C केवल तभी आकर्षित होती है जब न्यायालय मुआवजे के भुगतान का आदेश देता है। धारा 357 किसी अन्य मामले में आकर्षित नहीं होती है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब धारा की व्याख्या में कोई संदेह होता है तो धारा का शीर्षक एक भूमिका निभाता है। यह न्यायालय भिंका और अन्य बनाम।

चरण सिंह, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 960 ने एक खंड की व्याख्या करते हुए खंड के शीर्ष की भूमिका की जांच करते हुए निम्नलिखित सिद्धांत पर ध्यान दिया;

" 15 ..... धारा 180 किसी व्यक्ति को बेदखल करने का प्रावधान करती है।

जो बेदखली के लिए निर्धारित समय के प्रवाह से वंशानुगत किरायेदार बन जाएगा। यदि कोई अस्पष्टता है तो हम कुछ भी नहीं पाते हैं-यह धारा को दिए गए शीर्षक और अनुसूची में दिए गए मुकदमे की प्रकृति के विवरण से भी दूर हो जाता है। शीर्षक इस प्रकार है:

" स्वामित्व के बिना भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को बाहर निकालना।

" क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 10 वीं संस्करण। , की व्याख्या में इस तरह के शीर्षक के उपयोगकर्ता का दायरा देता है

एक खंड इस प्रकार, पी पर। 50 :

" कुछ आधुनिक कानूनों में अनुभागों या अनुभागों के सेट से पहले दिए गए शीर्षकों को उन अनुभागों की प्रस्तावना माना जाता है। वे क़ानून के सादे शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं लेकिन वे अस्पष्ट शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं।

यदि खंड में शब्दों की व्याख्या में कोई संदेह है, तो शीर्षक निश्चित रूप से हमें इसे हल करने में मदद करता है।

सन्देह हो रहा है।

सत्येंद्र कुमार मेहरा @सत्येंद्र कुमार

मेहरा वी. झारखंड राज्य [अशोक भूषण, जे.]

16. इसी तरह के प्रस्ताव को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एन. सी. धौंडियाल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में फिर से दोहराया।

(2004) 2 एस. सी. सी. 579, जहाँ पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 15 ..... सीमान्त शीर्षक में प्रयुक्त भाषा एक अन्य संकेतक है कि यह एक अधिकार क्षेत्र की सीमा है। यह व्याख्या का एक तय नियम है कि किसी भी संदेह या संदेह को दूर करने के लिए खंड शीर्षक या सीमांत नोट पर भरोसा किया जा सकता है।

प्रावधान की व्याख्या और विधायी इरादे को समझने में अस्पष्टता (उत्तम दास चेला सुंदर दास बनाम। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, (1996) 5 एस. सी. सी. 71 और भिंका बनाम। चरण सिंह, आकाशवाणी 1959 एससी 960) "।

17. अब हम उस निर्णय पर आते हैं जिस पर अपीलार्थी के विद्वान वकील यानी दिलीप एस. दहानुकर (उपरोक्त) ने भरोसा किया है। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय को धारा 357 Cr.P.C की व्याख्या करने का अवसर मिला था। इसमें अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 2 था, जिसे भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

साधारण के अलावा शिकायतकर्ता को Rs.15 लाख का मुआवजा कारावास। निर्णय के पैराग्राफ 3 में तथ्यों को नोट किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 3. अभियुक्त 1, मेसर्स गुडवैल्यू मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड, कंपनी के तहत पंजीकृत और निगमित कंपनी

अधिनियम, 1956 और अभियुक्त 2, यहाँ अपीलार्थी को धारा 138 से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।

दोषसिद्धि और सजा दिनांक 23-2 के निर्णय द्वारा कार्य करें

2006 धारण करनाः

" अभियुक्त 1 कंपनी, मेसर्स गुडवैल्यू मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के साथ पढ़ें।

अभियुक्त 1 कंपनी पर 25,000 रुपये (केवल बीस-पाँच हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से

जुर्माने का भुगतान, अभियुक्त 2 श्री दिलीप दहनुकर,

अभियुक्त 1 के अध्यक्ष और मुकदमे में प्रतिनिधि,

1 महीने तक एस. आई. से पीड़ित रहें। अभियुक्त 2 श्री दिलीप एस. दहानुकर, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 के साथ पठित धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं।

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त 2 को 1 महीने के लिए एस. आई. भुगतने की सजा सुनाई जाती है।

अभियुक्त 2 को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया जाता है।

शिकायतकर्ता, धारा 357 (3) सी. आर. पी. सी. के तहत 15,00,000 (केवल पंद्रह लाख रुपये) पर परिमाणित (एस. आई. सी.)। अभियुक्त 2 रुपये 7,50,000 की दो समान मासिक किश्तों में मुआवजे की राशि का भुगतान करने का हकदार है। रुपये की पहली किस्त 7,50,000 होगी 23-3-2006 पर या उससे पहले भुगतान किया गया और दूसरी किस्त

रुपये 7,50,000 का भुगतान 24-4-2006 पर या उससे पहले किया जाएगा; मुआवजे की राशि का भुगतान न करने पर अभियुक्त 2 को नुकसान उठाना पड़ेगा।

आगे 2 महीने के लिए एस. आई. "।

18. दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ एक अपील की गई थी। अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को उक्त तिथि से चार सप्ताह के भीतर प्रत्येक को 5 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था और उसके बाद मामले को इस न्यायालय में ले जाया गया था। इस न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि संहिता की धारा 357 (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय पूरी तरह से अस्थिर है क्योंकि जुर्माने की राशि इसके संदर्भ में है।

थोपा गया स्वतः निलंबित हो जाएगा।

19. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने संहिता की धारा 357 की उप-धारा (1), (2) और (3) पर विचार किया और कहा कि उप-धारा (2)

मुआवजे के साथ-साथ निर्देश दोनों के संबंध में लागू होगा

उप-धारा (3) के तहत। पैराग्राफ 43,44 और 45 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 43. यह हमसे अपील नहीं करता है कि हालांकि जुर्माने की मात्रा में से देय मुआवजे पर संहिता की धारा 357 की उप-धारा (2) के तहत रोक रहेगी, अगर कोई मुआवजा दिया जाता है।

इसकी उप-धारा (3) के तहत भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, जो उक्त प्रावधान को आकर्षित नहीं करेगा। (पी. सुरेश कुमार बनाम देखें। आर. शंकर, [(2007) 4 एस. सी. सी. 752]।

44. मजिस्ट्रेट इसके अलावा मुआवजा नहीं दे सकते हैं

ठीक है। हालाँकि, जब जुर्माना लगाया जाता है, तो निजी पक्ष को इस बात पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे जुर्माने की राशि में से मुआवजा दिया जाए। क्षतिपूर्ति प्रदान करने की शक्ति

धारा 357 (3) सहायक शक्ति नहीं है। यह एक अतिरिक्त शक्ति है। (बलराज बनाम देखें। उत्तर प्रदेश राज्य, [(1994) 4 एस. सी. सी. 29]।

सत्येंद्र कुमार मेहरा @सत्येंद्र कुमार

मेहरा वी. झारखंड राज्य [अशोक भूषण, जे.]

45. धारा 357 की उप-धारा (1) का खंड (बी) और धारा 357 की उप-धारा (1) और धारा 357 की उप-धारा (3) इसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। आवश्यक है कि विधायक के इरादे और उस उद्देश्य का पता लगाया जाए जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। धारा 357 की उप-धारा (2) में "जुर्माना" शब्द का उपयोग किया गया है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि किस पर रोक लगाई जाएगी यानी जुर्माना लगाया जाएगा। हमारी राय में, धारा 357 की उप-धारा (2) किसी अन्य व्याख्या पर विचार नहीं करती है। यह मानते हुए भी कि श्री ललित अपनी प्रस्तुति में सही थे, तब भी उप-धारा (3) पूरी तरह से आकर्षित होगी।

20. धारा 389 करोड़ का उल्लेख करते हुए। पी. सी., इस न्यायालय ने देखा कि

संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत संसद द्वारा सजा का निलंबन और जमानत पर एक अपीलार्थी, जिसे दोषी ठहराया गया है, को बढ़ाने और जुर्माने की वसूली पर विचार किया गया है। पैराग्राफ 51 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 51. धारा 389 बिल्कुल इसी तरह की स्थिति से संबंधित नहीं है। संहिता की धारा 389 को धारा के साथ पढ़ा जाना है।

387 वहाँ से। एक वाक्य का निलंबन और एक का विस्तार

जमानत पर अपीलार्थी, जिसे दोषी ठहराया गया है और जुर्माने की वसूली संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत संसद द्वारा निपटा गया है। न्यायालय की शक्ति, इस प्रकार, एक को निलंबित करने के लिए

मुआवजे की प्राप्ति के संबंध में सजा हो सकती है

जुर्माने की प्राप्ति में एक दिशा से अलग।

21. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने इस अंतर को नोट किया है

रुपये के जुर्माने के बीच। 25,000 / - जो कंपनी पर लगाया गया था और Rs.15 लाख का मुआवजा जिसे कंपनी द्वारा भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

कंपनी के अध्यक्ष। पैराग्राफ 71 में उपरोक्त का उल्लेख निम्नलिखित प्रभाव से किया गया थाः

“ 71. हम प्रथम दृष्टया इस राय के हैं (अपील की योग्यता में गए बिना) कि विद्वान का निर्देश

विचारण न्यायाधीश कुछ हद तक अनुचित प्रतीत होता है। द.

इसमें अपीलार्थी को कारावास की सजा सुनाई गई है। कंपनी पर केवल जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार, सभी इरादे और उद्देश्य के लिए, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने संहिता की धारा 357 की उप धारा (1) और (3) दोनों को लागू किया है। दायित्व

इसमें अपीलार्थी के संदर्भ में एक प्रत्यावर्ती था परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141।

इस दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है कि सीखा

ट्रायल जज ने सोचा कि केवल 25,000 रुपये का जुर्माना लगाना उचित है। कंपनी पर। यदि ऐसा है तो एक सवाल उठेगा कि

क्या 15 रुपये की राशि के लिए मुआवजे की राशि

अध्यक्ष द्वारा लाखों का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए था।

कंपनी से। हमें लगता है कि ऐसा नहीं है।

22. इस न्यायालय ने अंततः अपीलार्थी को रुपये जमा करने का निर्देश दिया

मुआवजे के लिए एक लाख रुपये और इसके निष्कर्ष को पैराग्राफ 72 में दर्ज किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 72. इसलिए, हमारी राय हैः

(i) इस प्रकृति के मामले में, धारा 357 की उप-धारा (2)

दंड प्रक्रिया संहिता तब भी आकर्षित की जाएगी जब

अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था;

(ii) अपीलीय न्यायालय, हालाँकि, सजा को निलंबित करते हुए, अपीलार्थी को शर्तों पर रखने का हकदार था। हालांकि, इस तरह के किसी भी शब्द को मनोरंजन के लिए एक शर्त के रूप में नहीं रखा जा सकता है।
अपील जो एक संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है;

((ग) मुआवजे की राशि उचित राशि होनी चाहिए।

((iv) न्यायालय को ऐसी राशि निर्धारित करते समय, उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357;

(v) मुआवजे की कोई अनुचित राशि निर्देशित नहीं की जा सकती है

भुगतान किया जाए। "

मामले में, धारा 357 (2) Cr.P.C के किसी भी मुआवजे या प्रयोज्यता के भुगतान से संबंधित नहीं हैं। क्षतिपूर्ति।

24. हमें स्टैनी फेलिक्स पिंटो (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उपरोक्त मामले में सजा के साथ-साथ

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कारावास, जुर्माना भी लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने संशोधन पर विचार करते हुए सत्येंद्र कुमार मेहरा @सत्येंद्र कुमार को मंजूरी दे दी।

मेहरा वी. झारखंड राज्य [अशोक भूषण, जे.]

एक शर्त लगाते हुए सजा का निलंबन कि जुर्माने का एक हिस्सा एक निर्दिष्ट समय के भीतर अदालत में प्रेषित किया जाएगा, जिस निर्देश को इस अदालत में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने उक्त निर्देश को बरकरार रखा। पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 2. जब किसी व्यक्ति को धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया था

परक्राम्य लिखत अधिनियम और सजा सुनाई गई

कारावास और जुर्माने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया

सजा का निलंबन। उच्च न्यायालय ने जबकि उसके पुनरीक्षण पर विचार करते हुए एक शर्त लगाते हुए सजा का निलंबन किया गया कि जुर्माने का एक हिस्सा एक निर्दिष्ट समय के भीतर अदालत में प्रेषित किया जाएगा। यह याचिका उक्त निर्देश के खिलाफ दायर की गई है। हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने इसे सही तरीके से और न्याय के हित में किया है। हम महसूस करते हैं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए सजा को निलंबित करते समय यह सलाह दी जाती है कि अदालत एक शर्त लगाए कि जुर्माना भाग एक निश्चित अवधि के भीतर माफ कर दिया जाए। यदि जुर्माने की राशि भारी है, तो अदालत कम से कम उसके एक हिस्से को माफ करने का निर्देश दे सकती है क्योंकि दोषी व्यक्ति चाहता है कि अपील के लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित कर दिया जाए। इस मामले में अपीलार्थी की शिकायत है कि उसे उच्च न्यायालय द्वारा सजा को निलंबित करने की शर्त के रूप में चार लाख रुपये की बड़ी राशि प्रेषित करने की आवश्यकता है। निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने की कुल राशि (बीस लाख रुपये) पर विचार करते समय ऐसा जुर्माना लगाने में कुछ भी अन्यायपूर्ण या अनुचित नहीं है।

स्थिति। इसलिए, विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रत्यर्थी को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

25. यह सच है कि इस न्यायालय ने उक्त मामले का निर्णय लेते समय धारा 357 (2) पर विचार नहीं किया।

उनका यह निवेदन करने का अधिकार है कि उपरोक्त निर्णय को धारा 357 (2) Cr.P.C की प्रयोज्यता पर कोई अनुपात निर्धारित करने के लिए नहीं माना जा सकता है। 26. हम सिंचाई इंजीनियरिंग कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं।

बनाम। भारतीय लघु-स्तरीय औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी), 2003 (6) कारलजे 387, जहां धारा 357 (2) Cr.P.C की व्याख्या करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा था कि धारा 357 (2) Cr.P.C में पाया गया "भुगतान" शब्द मुआवजे या जुर्माने [2018] 4 एस. सी. आर. के 'जमा' को संदर्भित नहीं करता है।

अभियुक्त द्वारा। उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में अपीलार्थी को जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपील में उच्च न्यायालय ने इस शर्त पर सजा सुनाने का निर्देश दिया कि अपीलार्थी कुल जुर्माना जमा करेगा जिसे धारा 357 (2) Cr.P.C को देखते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।उन्हें कुल जुर्माने का 20 प्रतिशत जमा करने के लिए कहना। परिच्छेदों में

1 10 निम्नलिखित कहा गया थाः

" 8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (2) क्या है? पी. सी. निम्नलिखित कहता हैः

" यदि जुर्माना किसी ऐसे मामले में लगाया जाता है जो अपील के अधीन है, तो अपील प्रस्तुत करने के लिए दी गई अवधि समाप्त होने से पहले ऐसा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, या, यदि कोई अपील की जाती है।

अपील के निर्णय से पहले प्रस्तुत किया गया "।

कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अपील न्यायालय, किसी अभियुक्त पर लगाई गई सजा को निलंबित करते हुए, कोई शर्त नहीं लगा सकता है जुर्माने की राशि का एक हिस्सा जमा करना। यह सच है कि याचिकाकर्ताओं के लिए जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, उसके अनुसार कानून के उक्त प्रावधान के तहत लगी रोक संहिता की धारा 357 की उप-धारा (3) के तहत दिए गए मुआवजे पर समान रूप से लागू होती है, लेकिन यह अभिनिर्धारित या पढ़ा नहीं जा सकता है कि अपील

न्यायालय निलंबन के लिए सशर्त आदेश पारित नहीं कर सकता है

वाक्य।

9. मेरे अनुसार, "भुगतान" शब्द दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (2) में पाया जाता है। पी. सी., किसी अभियुक्त द्वारा मुआवजे या जुर्माने की राशि के 'जमा' को संदर्भित नहीं करता है। निलंबन के दौरान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का

एक अभियुक्त पर लगाई गई सजा, क्योंकि मेरे विचार से, "भुगतान" शब्द उस व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान को संदर्भित करता है, जिसे मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, न कि जुर्माने की राशि का।

द्वारा 'जमा' की जाने वाली मुआवजे की राशि सहित अभियुक्त। कानून के उक्त प्रावधान में निहित रोक इस तरह की राशि के भुगतान के संदर्भ में है

अपील अवधि की समाप्ति या जहां अपील की गई है

इस तरह की अपील के लंबित रहने के दौरान वरीयता दी जाती है। इसलिए, धारा 357 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और न ही पढ़ा जा सकता है। पी. सी. वास्तव में, न तो याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं ने आवेदन किया और न ही अपीलीय न्यायालय ने रुपये के मुआवजे से संबंधित सजा को निलंबित करने का आदेश दिया। 16 केवल एक लाख।

दूसरी ओर सत्येंद्र कुमार मेहरा @सत्येंद्र कुमार

मेहरा वी. झारखंड राज्य [अशोक भूषण, जे.]

साथ ही, जब उनके खिलाफ पारित विवादित सजा के निलंबन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत अपीलीय न्यायालय को दी गई शक्ति के साथ देखा जाता है। पी. सी., दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के दायरे या दायरे के अलावा। पी. सी., यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि अभिलेख में कोई त्रुटि नहीं है या

सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए कुल जुर्माने की राशि का 20 प्रतिशत जमा करने की शर्त पर सजा को निलंबित करने वाले विवादित आदेश में दुर्बलता या अनियमितता या अवैधता।

उन पर (याचिकाकर्ताओं)।

10. मामले के इस दृष्टिकोण में, न तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (2)। पी. सी. और न ही याचिकाकर्ताओं के लिए जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है

याचिकाकर्ताओं को कोई भी मदद।

27. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में उच्च न्यायालयों के तीन फैसलों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक और पटना उच्च न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया है। हमें अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख करने की आवश्यकता है। पहला फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का 2006 (3) पी. एल. आर. 194, केदार नाथ बनाम हरियाणा राज्य में दिया गया फैसला है। उपरोक्त मामले में, याचिकाकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत रुपये की राशि के कई चेकों के अपमान के लिए दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी। यह भी आदेश दिया गया कि रुपये के जुर्माने में से रुपये की राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दी जाए। एक अपील दायर की गई थी जिसमें अपीलीय अदालत ने इस शर्त पर सजा को निलंबित कर दिया था कि याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष रुपये की राशि जमा करेगा। उपरोक्त शर्त थी

याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 357 उप-धारा (2) Cr.P.C के अनुसार याचिकाकर्ता नहीं था।

जुर्माने की किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी। उच्च न्यायालय ने धारा 357 की उप-धारा (2) Cr.P.C के आधार पर प्रस्तुतिकरण को स्वीकार कर लिया। निर्णय के पैराग्राफ 8 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 8. दोषसिद्धि और सजा के आदेश के फैसले के खिलाफ, याचिकाकर्ता द्वारा एक अपील की गई थी, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था। सजा को निलंबित करते हुए, अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा लगाए गए 3 लाख रुपये के जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये जमा करने की शर्त लगाई। मेरी राय में, उक्त [2018] 4 एस. सी. आर. लागू करके।

शर्त, याचिकाकर्ता को जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था, जो धारा 357 Cr.P.C की उप-धारा (2) के अनुसार, आरोपी अंतिम भुगतान तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

अपील का निर्णय। सिर्फ इसलिए कि

3 लाख रुपये के जुर्माने की राशि। 2,50,000 / - शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया था, मेरी राय में,

ठीक की प्रकृति को नहीं बदलता है। निचली अदालत का फैसला बहुत स्पष्ट है कि एक साल की सजा के साथ 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सबिता बहल के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले में इस मामले के तथ्यों को पूरी तरह से शामिल किया गया है। इस प्रकार, मेरी राय में, अपीलीय न्यायालय विवादित शर्त को लागू करते समय उचित नहीं था याचिकाकर्ता को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित सजा के निलंबन के आदेश को देखते हुए जमानत बांड प्रस्तुत करते समय निचली अदालत के समक्ष रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देना।

28. उपरोक्त मामला स्पष्ट रूप से वर्तमान से अलग है।

मामला। उपरोक्त मामले में, मुआवजे के भुगतान के लिए धारा 357 की उप-धारा (1) (बी) Cr.P.C के अर्थ के भीतर निर्देश था। इसलिए अदालत ने धारा 357 की उप-धारा (2) Cr.P.C पर भरोसा किया। उपस्थित पर लगाए गए जुर्माने में से किसी भी मुआवजे के भुगतान का मामला नहीं है

अपीलार्थी। इस प्रकार, उपरोक्त मामला किसी भी तरह से अपीलार्थी की मदद नहीं करता है। 29. अब हम अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए दूसरे मामले पर आते हैं, अर्थात भारत मंडल पुत्र मामले में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर।

सीताराम मंडल और अन्य। बनाम। बिहार राज्य, 2012 (2) पीएलजेआर 855। उपरोक्त मामले में अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 307/149 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कारावास और आगे प्रत्येक को Rs.20,000/- का जुर्माना देने का निर्देश दिया। अपील दायर की गई थी जिसमें अपीलीय न्यायालय ने जुर्माने के भुगतान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अपीलार्थी ने जुर्माने के भुगतान पर रोक लगाने के लिए दबाव डाला जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार किया। उच्च न्यायालय ने धारा 357 की उप-धारा (2) पर भरोसा किया और अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि जुर्माना नहीं दिया जाना था। पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित बात कही गई थीः

" 7. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री योगेश चंद्र वर्मा का तर्क पूरी तरह से धारा की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। हमारे विचार में, श्री वर्मा द्वारा की गई प्रस्तुति को स्वीकार किया जाना चाहिए। सत्येंद्र कुमार मेहर @सत्येंद्र कुमार संहिता की धारा 357 की उप-धारा (2) के सादे पठन पर

मेहरा वी. झारखंड राज्य [अशोक भूषण, जे.]

आपराधिक प्रक्रिया हम पाते हैं कि बिल्कुल नहीं है

विधायिका द्वारा उत्कीर्ण प्रावधान में अस्पष्टता, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अवधि से पहले ऐसा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा

बीत गया। इस प्रकार, यह किसी भी अदालत को उस अवधि के लिए भुगतान को लागू करने से रोकता है, जिसमें अपील दायर की जा सकती है। इसके बाद दूसरा यह प्रावधान है कि यदि अपील के निर्णय तक अपील प्रस्तुत की जाती है तो वसूली या भुगतान की कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। अपील के निर्णय का अर्थ केवल अपील में अंतिम निर्णय होगा न कि किसी भी समय कोई आदेश।

अंतर्वर्ती चरण क्योंकि यह निर्णय नहीं होगा

अपील की। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (2) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

स्वचालित रूप से पहले उस अवधि के लिए रुक जाता है जो है

अपील दायर करने के लिए उपलब्ध है और एक बार अपील दायर होने के बाद अपील के निर्णय तक। यह स्वयं विधायिका का जनादेश है, जो स्पष्ट और स्पष्ट है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (3) के संदर्भ में जुर्माना देने के बजाय स्थिति अलग होगी।

केवल मुआवजा दिया जाता है। ऐसे मामले में, अपीलीय न्यायालय के पास रोक लगाने या रोक नहीं लगाने का न्यायिक विवेकाधिकार है विचाराधीन मामले के तथ्यों के आधार पर इस प्रकार दिया गया मुआवजा।

30. उच्च न्यायालय द्वारा देखे गए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या जुर्माने की राशि Rs.20,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था

पीड़ित। फैसले में ऐसे कोई तथ्य नहीं देखे गए हैं। यदि लगाए गए जुर्माने में से कोई मुआवजा देने का कोई निर्देश नहीं था, तो उक्त मामले के तथ्य हाथ में मामले के समान हैं। हमारा विचार है कि यदि लगाए गए जुर्माने में से किसी भी मुआवजे का भुगतान करने का कोई निर्देश नहीं है, तो धारा 357 (2) Cr.P.C आकर्षित नहीं होती है। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि आई. डी. 1 की धारा 357 की उप-धारा (2) को देखते हुए जुर्माने की वसूली पर स्वतः ही रोक लग जाएगी, उस मामले में अंतर को ध्यान में नहीं रखती है जहां जुर्माना सजा का हिस्सा है और मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश है और ऐसे मामले में जहां कोई मुआवजा देने का निर्देश नहीं है।

31. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया तीसरा मामला फिर से आपराधिक मामले में पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का निर्णय है।

2012 की अपील (डी. बी.) No.529, नरेश यादव @नरेश महतो और [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ओआरएस। बनाम। बिहार राज्य ने 26.06.2012 पर निर्णय लिया। पटना उच्च न्यायालय के फैसले को अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की संक्षिप्त प्रस्तुतियों के साथ रिकॉर्ड में रखा गया है। फैसले का अवलोकन

यह इंगित करता है कि पटना उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और जुर्माना लगाने के संबंध में निचली अदालत द्वारा पारित आदेश की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया है। आवेदक ने उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन के लिए अनुरोध किया जिसके द्वारा जुर्माना जमा करने का निर्देश जारी किया गया था। धारा 357 उप-धारा (2) Cr.P.C. पर भरोसा किया गया और डिवीजन बेंच ने भारत मंडल और अन्य में पटना उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया। (सुप्रा) ने दिनांकित 04.06.2012 के आदेश के अंतिम पैराग्राफ को संशोधित किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि लगाए गए जुर्माने पर मामले के निर्णय तक रोक रहेगी। उपरोक्त निर्णय केवल भारत मंडल और अन्य पर निर्भर करता है। जिसे हम पहले ही ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए यह निर्णय भी अपीलार्थी की मदद नहीं करता है।

32. धारा 357 Cr.P.C के उद्देश्य और उद्देश्य पर इस न्यायालय द्वारा हरि सिंह बनाम में विचार किया गया था। सुखबीर सिंह और अन्य, (1988) 4

एससीसी 551। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को मुआवजे के भुगतान के लिए निर्देश देने की शक्ति का उद्देश्य पीड़ित के लिए कुछ करना है। इस प्रावधान को हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक कदम आगे माना गया था। पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

" 10 ..... यह अदालत को पीड़ितों को मुआवजा देने का अधिकार देता है।

दोषसिद्धि, अदालत अभियुक्त को पीड़ित को मुआवजे के रूप में कुछ राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकती है जो अभियुक्त की कार्रवाई से पीड़ित है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस शक्ति का क्षतिपूर्ति देने के लिए अदालतें अन्य के लिए सहायक नहीं हैं।

वाक्य लेकिन यह इसके अतिरिक्त है। यह शक्ति थी पीड़ित को आश्वस्त करने के लिए कुछ करने का इरादा है कि उसे आपराधिक न्याय प्रणाली में नहीं भुलाया गया है। यह अपराध के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने का भी एक उपाय है।

पीड़ित का अपराधी के साथ सुलह करना। यह कुछ हद तक अपराधों के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। यह वास्तव में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक कदम आगे है। इसलिए हम सभी न्यायालयों से इस शक्ति का उदारतापूर्वक प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं ताकि न्याय का अंत बेहतर तरीके से होता है।

33. धारा 357 Cr.P.C की उप-धारा (2) का उद्देश्य और उद्देश्य क्या है? धारा 357 (1) Cr.P.C. ठीक किए गए सत्येंद्र कुमार मेहर @सत्येंद्र कुमार के उपयोग पर विचार किया गया।

मेहरा वी. झारखंड राज्य [अशोक भूषण, जे.]

पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे के रूप में कुछ परिस्थितियों में लगाया गया। उप-धारा (2) में एक प्रतिबंध लगाया गया है कि ऐसा भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील के लिए अनुमत अवधि समाप्त नहीं हो जाती है या यदि अपील दायर की जाती है, जब तक कि उसका निर्णय नहीं हो जाता है। विधानमंडल इस बात से अवगत था कि यदि भुगतान किए गए मुआवजे का उपयोग किया जाता है, तो पीड़ित से उपयोग की गई उक्त राशि की वसूली के लिए उचित उपाय नहीं हो सकते हैं, जिसे मुआवजे का भुगतान किया जाता है, इसलिए भुगतान में प्रतिबंध को उप-धारा (2) में शामिल किया गया है। इस प्रकार सबसे अच्छा धारा 357 Cr.P.C की उप-धारा (2) एक ऐसा प्रावधान है जो दिए गए मुआवजे की राशि के उपयोग को तब तक अलग करता है या रोकता है जब तक कि अपील की सीमा समाप्त नहीं हो जाती या यदि दायर किया जाता है जब तक कि यह तय नहीं हो जाता। यह प्रावधान किसी भी तरह से अपील के लंबित रहने के दौरान जुर्माने की सजा पर रोक नहीं लगाता है। वह उद्देश्य जिसके लिए धारा 357 की उप-धारा (2) Cr.P.C.

अधिनियम अलग है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और यह कभी भी अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की सजा पर रोक लगाने के रूप में विचार नहीं करता है।

34. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलीय न्यायालय धारा 389 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बिना किसी शर्त या शर्तों के कारावास के साथ-साथ जुर्माने की सजा को निलंबित कर सकता है। धारा 389 Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्ति पर कोई बंधन नहीं हैं। अपीलीय न्यायालय सजा और जुर्माना दोनों को निलंबित कर सकता था या जुर्माना या जुर्माने के हिस्से को जमा करने का निर्देश दे सकता था।

35. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भी के. सी. सरीन बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। सी. बी. आई. चंडीगढ़, (2001) 6 एस. सी. सी. 584, जहाँ इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अपीलीय अदालत दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए दायर अपील को स्वीकार करती है

पी. सी. अधिनियम के तहत अपराध, उच्च न्यायालय को आम तौर पर अपील के निपटारे तक कारावास की सजा को निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इनकार करने से अपील ही निरर्थक हो जाएगी जब तक कि ऐसी अपील दायर करने के तुरंत बाद सुनवाई नहीं की जा सकती।

अपील '।

36. उपरोक्त टिप्पणी इस न्यायालय द्वारा कारावास की सजा के निलंबन के संदर्भ में की गई थी। वर्तमान एक मामला नहीं है

जहाँ कारावास की सजा के निलंबन का प्रश्न शामिल है, बल्कि अपीलीय न्यायालय ने पहले ही की सजा को निलंबित कर दिया है

कारावास। उपरोक्त मामला भी इस प्रकार वर्तमान मामले के तथ्यों में अपीलार्थी की मदद नहीं करता है।

37. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि धारा 357 (2) वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं की गई थी क्योंकि निचली अदालत द्वारा सजा के हिस्से के रूप में लगाए गए जुर्माने में से किसी भी मुआवजे के भुगतान का कोई निर्देश नहीं था। धारा 357 Cr.P.C. (2) केवल तभी लागू होती है जब धारा 357 (1) Cr.P.C के तहत दंड के रूप में लगाए गए जुर्माने या धारा 357 (3) Cr.P.C के तहत निर्देशित मुआवजे का उपयोग करते हुए मुआवजे के भुगतान का कोई आदेश दिया जाता है। वर्तमान न तो एक है

धारा 357 (1) Cr.P.C का मामला और न ही धारा 357 (3), धारा 357 Cr.P.C की उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से लागू नहीं है और प्रस्तुतियाँ उठाई गई हैं।

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा किसी भी सार के बिना हैं। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं, जहां उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को निचली अदालत द्वारा दिए गए जुर्माने को जमा करने का निर्देश दिया है। नतीजतन, अपील खारिज कर दी जाती है।

चिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान